यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) के माह 06/2011 से 03/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 19.06.2017 से 22.06.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी0पी0 सिंह, श्री राघवेन्द्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 30.06.2011 से 04.07.2011 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 03/2009 से 05/2011 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2011 से 03/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में आने वाले समस्त मानसिक रोगियों को निःशुल्क उपचार, औषधि वितरण एवं गम्भीर रोगियों को आवासीय सुविधा के साथ भोजन की ब्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र स्वास्थ्य संस्थान परिसर तक सीमित है जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2011–12	–	23.40	98.62	98.60	58.71	32.52	–			49.59
2012–13	–	49.59	100.65	100.42	64.91	37.71	–		–	76.79
2013–14	–	76.79	110.00	108.00	70.70	72.06	–		–	75.43
2014–15	–	75.43	97.83	97.65	80.35	110.28	–		–	45.50
2015–16	–	45.50	87.90	87.76	80.36	113.14	–		–	12.72
2016–17	–	12.72	124.78	112.15	72.00	90.45	–		–	– 5.73

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2011–12	एन0एच0एम0	–	0.75	0.72		0.03
2012–13	–	0.03	1.22	0.40	–	0.85
2013–14	–	0.85	1.21	2.00	–	0.06
2014–15	–	0.06	1.46	1.28	–	0.24
2015–16	–	0.24	1.34	1.29	–	0.29
2016–17	–	0.29	1.46	1.46	–	0.29

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

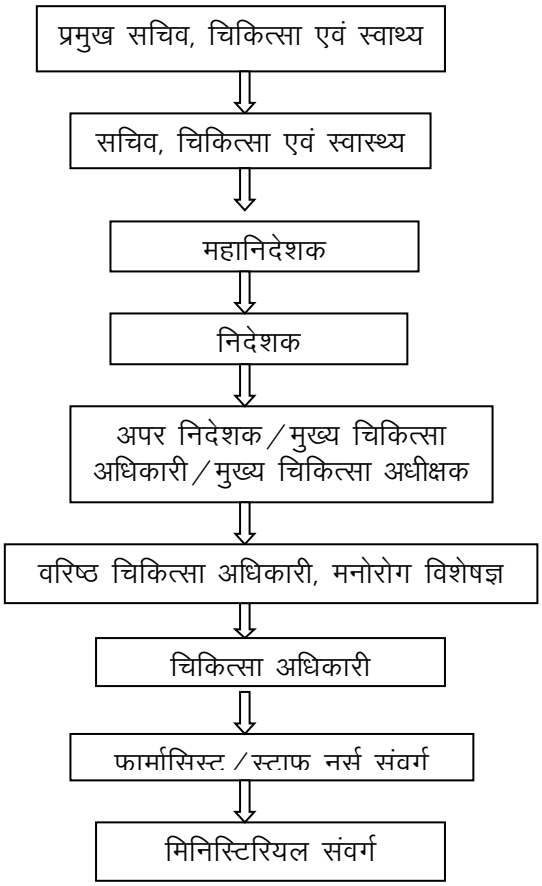

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अक्टूबर 2015, मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 शासनादेश के विपरीत रु0 192.39 लाख की औषधि का क्रय।

उत्तराखण्ड राज्य में **औषधि क्रय नीति** हेतु शासन द्वारा पत्रांक संख्या 1284/XXVII-5/2008-24/2003 दिनॉक 28 अक्टूबर 2009 एवं 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 में दिशा–निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुरुप बिन्दु सं0 18 के अनुसार एक बार में क्रय की गई प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं का रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जॉच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जॉचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरुप जॉच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त बिन्दु सं0 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए एवं बिन्दु सं0 31 के अनुसार जिन औषधियों का रैंडम सैम्पल लिया गया है उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुॅचने के 30 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान औषधि की गुणवत्ता सम्बन्धी जॉच आख्या प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) के औषधि क्रय एवं भण्डार पंजिकाओं से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक रु0 192.39 लाख[1] की औषधियॉ क्रय की गई, परन्तु शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं किया गया। शासनादेश के निर्देशों के विपरीत (i) उक्त वर्षों में क्रय की गयी 698 किस्म की औषधियों (लागत रु0 192.39 लाख) के सापेक्ष कार्यालय द्वारा मात्र 10 किस्म की औषधियों के ही नमूने गुणवत्ता जॉच हेतु भेजे गये। जिसके परिणामस्वरुप न केवल औषधियों की वास्तविक गुणवत्ता का पता चल पाया कि वे उपयोग हेतु उपयुक्त थी वल्कि औषधियों को स्वास्थ्य केन्द्रों को वितरित कर जन–सामान्य के उपयोग हेतु अवमुक्त भी कर दिया गया था, (ii) क्रय की गई 698 किस्म की औषधियों में से लेखापरीक्षा द्वारा 20 किस्म की रैण्डम जॉच में पाया कि समस्त औषधियॉ उनके निर्माण की तिथि से 14 माह से 37 माह तक की पुरानी अवधि की क्रय की गयी थी। जिसके परिणामस्वरुप औषधियों को वितरण करने हेतु न केवल पर्याप्त समय मिल पाता वल्कि

[1] वर्ष 2011–12 : रु0 12.05 लाख, वर्ष 2012–13 : रु0 12.38 लाख, वर्ष 2013–14 : रु0 25.04 लाख, वर्ष 2014–15 : रु0 38.23 लाख, वर्ष 2015–16 : रु0 60.35 लाख, वर्ष 2016–17 : रु 44.34 लाख

विना आवश्यकता के उनका उपयोग किया जाना भी विभाग की मजबूरी हो जाती है, (iii) क्रय की गई समस्त औषधियों का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत–प्रतिशत एक बार में ही किया गया था जिसके परिणामस्वरुप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रुप से लाभ पहुॅचाए जाने की सम्भावना बनी, वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवत्ता प्राप्त होने पर उसके एवज में वापसी एवं पुनः आपूर्ति की सम्भावना भी खत्म हो जाती है। इस प्रकार, रु0 192.39 लाख की औषधि का क्रय उक्त शासनादेशों के दिशा–निर्देशों के विपरीत थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि (i) औषधि निरीक्षक की अनुउपलब्धता के कारण प्रावधानित प्रतिशतता की जॉच नहीं की जा सकी, (ii) मानसिक रोगियों हेतु औषधि प्रायः प्रत्येक फर्म द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यहॉ तक कि निविदा बार–बार आमंत्रित करने के पश्चात् भी कोई फर्म दरें नहीं डालती है, जिसके कारण मानसिक संस्थान में तीन माह की बाध्यता सम्भव नहीं है एवं (iii) औषधि निरीक्षक की उपलब्धता के पश्चात् प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गये थे, जिनका अनुपालन संस्थान को किया जाना चाहिए था।

अतः शासनादेश के विपरीत रु0 192.39 लाख की औषधि के क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 अर्जित व्याज रु0 12.09 लाख का राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के पत्रांक संख्या–वित्त अनुभाग–99/xxvii (14)/2009 दिनॉक 03 सितम्बर 2009 में निर्देशित आदेशों के अनुसार यदि किसी विशिष्ट कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तो इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049–ब्याज प्राप्तियॉ 04–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियॉ 800–अन्य प्राप्तियॉ, 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि संस्थान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2016–17 में बैंक बचत खाते से अर्जित व्याज के रुप में रु0 12.09 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, परन्तु उक्त प्राप्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा नहीं की गई एवं बचत खाते में ही रखी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि संस्थान में शासनादेश उपलब्ध न होने के कारण ब्याज की राशि जमा नहीं की जा सकी। भविष्य में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अतः बैंक बचत खाते से अर्जित व्याज रु0 12.09 लाख का राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु0 77,900 का अधिक भुगतान।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स में किसी कर्मचारी के वेतन निर्धारण 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार संशोधन–पूर्व संरचना में विद्यमान वेतन, वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्ति राशि, नये वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरुपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरुप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा। उपयुक्त लेवल में वेतन के निर्धारण के पश्चात् उसी लेवल में अगली वेतन वृद्वि उस लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि चार चिकित्सा अधिकारियों एवं दो कर्मचारियों को 01 जनवरी 2016 के नये वेतन निर्धारण में वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण थी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

नाम	31.12.2015 को वेतन + ग्रेड वेतन	वेतनवृद्वि की तिथि	01.01.2016 में 7वें वेतन आयोग के अनुसार कुल देय वेतन	कार्यालय द्वारा 01.01.2016 में प्रदत्त वेतन	वेतन में अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डा0 जे0एस0 बिष्ट	25280 + 7600	जनवरी	88,700	1,15,800	27,100
डा0 रविन्द्र नवानी	21230 + 7600	जुलाई	76,200	85,800	9,600
डा0 सुमित देव वर्मन	25280 + 7600	जुलाई	83,600	99,800	16,200
डा0 कुमार खगेन्द्र	43080 + 8700	जनवरी	1,37,500	1,59,300	21,800
श्रीमती किरण पंखोली, स्टाफ नर्स	17170 + 4600	जुलाई	56,900	58,600	1,700
श्री पी0एस0 रमोला, वरि0 प्रशासनिक अधिकारी	14710 + 4600	जनवरी	50,500	52,000	1,500
योगः–					**77,900**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि वेतन निर्धारण उप–कोषागार द्वारा किया गया। फिर भी आपत्ति की पुनः समीक्षा कर उच्चाधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु0 77,900 के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
22/2011–12	1	–

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
22/2011–12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	संस्थान द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } जुलाई 2012 से सितम्बर 2014 तक की रोकड बही एवं व्यय बाउचर तथा बैंक चालान की मूल प्रतियॉ

   (ii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 जे0पी0 चमोली	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	18.07.2008 से 30.06.2012
2.	डा0 ए0के0 रस्तोगी	– तदैव –	30.06.2012 से 30.09.2013
3.	डा0 जे0एस0 बिष्ट	– तदैव –	01.10.2013 से 18.02.2014
4.	डा0 बी0एस0 रावत	– तदैव –	19.02.2014 से 16.08.2016
5.	डा0 एस0डी0 बर्मन	– तदैव –	17.08.2016 से 16.10.2016
6.	डा0 कुमार खगेन्द्र	– तदैव –	17.10.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई (देहरादून) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /सामाजिक क्षेत्र